

2016 के तहत  
पीड लेडा 8 प्रकृत हुई।  
लालुराम, लालुराम, राम लाल  
बुरडी चण्ड व विपक्षी गण  
कुमार, महेश कुमार उनके  
उ.र. न्यास उपस्थित।

महेश  
कुमार

उपरोक्त के संश्लेष में  
इस प्रकार है कि प्राथमिक  
होटा था 1000 धारा 24 ध

राजस्थान कायदा त्वारी (संव्याती  
नियम 1955 के तहत प्रकृत  
रूप में लाल वर निवेदन किया कि प्रा  
व. प्र. 2 से 8 के विहा स. मेरु  
के पास था 10 प्रकृत कुम्हार वि. पी

J.C. 14-5  
(Apt. 1411)

के विपक्षीया में। के प्रति व  
विपक्षीया नं 2-3 के विहा प्र  
10 प्रो. लाल कायस्थ वि. पीडले  
से केकन हबके आबादी ग्राम  
पीड लेडा की सखिया आबादी नं  
1285, 1286, 1287, 1282, 1291  
1292 विहा 6 बरबा 7-11 बीघा  
में से 4.00 बीघा विल प्रवज  
400/- रु में डिमा 22.9.70 को  
पंजीकृत हुए, ~~बरेल~~ पर के जरिये  
कुछ कर बरबा प्रकृत किया।

प्राथमिक ने प्र. में धारा  
88-89 R.T.A के तहत अभी  
न्यायलय में वाद पर वेरु  
विहा जो धारा 42 R.T.A

सहायक-कलेक्टर  
(सिपायण्ड अधिकारी)